भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नई दिल्ली में **"कनिष्ठ विकरण चिकत्सा प्रौद्योगिकीविदि् (श्रेणी-I)"** के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नई दिल्ली में **"कनिष्ठ विकरण चिकत्सा प्रौद्योगिकीविदि् (श्रेणी-I)"** के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपतिधारक, यदि वे चाहें तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनो की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल कर - सकते हैं।

गणेश कुमार

(गणेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23063481

नई दिल्ली
दिनांक :

(गणेश कुमार)
(GANESH KUMAR)
अवर सचिव / Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (श्रेणी-I)	06* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता।	21 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड,

					संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<u>आवश्यक:</u> 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 12 वीं कक्ष उत्तीर्ण। 2. (क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का <u>दो वर्ष</u> का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड ट्रेनिंग। या (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् में <u>तीन वर्ष</u> का बी.एससी डिग्री कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड ट्रेनिंग। या (ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी (एईआरबी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का <u>दो वर्ष का</u> डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल/संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। <u>वांछनीय:</u> नवीनतम तकनीक/उपकरणों वाले किसी उन्नत विकिरण चिकित्सा केंद्र/संस्थान में में कार्य करने का अनुभव। टिप्पण: 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएंगे, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकेगा: (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के विकिरण चिकित्सा विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के प्रशासन के कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य; 4. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[ए.11018/07/2022-एमएच-II]

(गणेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार